प्रपत्र क्र. क्राभनि-पी-12

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
क्रय और भंडार निदेशालय

खण्ड I

सभी ठेकों की सामान्य शर्तें

परमाणु ऊर्जा विभाग
के
क्रय और भंडार निदेशालय
द्वारा आयातित भंडार के लिए जारी ठेकों के लिए लागू

1. प्रस्तावना

1.1 खण्ड -। में निहित शर्तें सभी ठेकों पर लागू होंगी जबकि, खण्ड -।। में उल्लिखित शर्तें मशीनरी/उपस्कर/यंत्र संबंधी ठेकों पर लागू होंगी।

2. ठेकों की सामान्य शर्तें

2.1 परिभाषाएं तथा व्याख्या

2.1.1 ठेके तथा उसे शासित करने वाली सामान्य तथा विशेष शर्तें, जब तक किसी विशेष संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न अर्थों में होंगी :

(क) "क्रेता" का अर्थ है भारत के राष्ट्रपति जिसमें उनके उत्तराधिकारी या समनुदेशित का समावेश होगा।

(ख) "निदेशक, क्रय और भंडार" से अभिप्राय है, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक, क्रय और भंडार, जो इस समय क्रय और भंडार निदेशालय के प्रशासनिक प्रभारी हों तथा इसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय के संयुक्त निदेशक, क्रय और भंडार, उप निदेशक, क्रय और भंडार, क्रय अधिकारी या सहायक क्रय अधिकारी या प्राधिकृत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। ये क्रेता की ओर से सामग्री की खरीद और आपूर्ति से संबंधित ठेकों का निष्पादन करेंगे।

(ग) "ठेकेदार" या "आपूर्तिकर्ता" से अभिप्राय उस फर्म या कम्पनी से है, जिसको सामग्री की आपूर्ति ठेको/क्रय आदेश जारी किया गया है तथा इसके अंतर्गत उनके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक तथा अनुमति प्राप्त समनुदेशित, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित होंगे ।

(घ) "ठेका या क्रय आदेश" से अभिप्राय है, इसमें समाविष्ट है पत्र, तार या फैक्स (*जिनकी बाद में लिखित पुष्टि की जाएगी), जिसमें ठेकेदार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी तथा जिसमें निविदा आमंत्रण, प्रस्ताव सहित निविदा, प्रस्ताव की अग्रिम स्वीकृति, प्रस्ताव की स्वीकृति में संविदा को विनिर्दिष्ट सामान्य तथा विशेष शर्तें तथा परस्पर सहमति के आधार पर किए गए परवर्ती संशोधन/परिवर्तन आदि।

(ड) "भंडार या सामग्री" से अभिप्राय है ठेका/क्रय आदेश में निर्दिष्ट वस्तु जिसकी आपूर्ति के लिए निविदाकार/ठेकेदार ने निविदा के अंतर्गत सहमति दी है ।

(च) "उप-ठेकेदार" या "उप-आपूर्तिकर्ता" से अभिप्राय है ठेके/क्रय आदेश के संबंध में क्रेता की पूर्व-अनुमति से ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता।

(छ) "निरीक्षक या गुणता सर्वेक्षक" से अभिप्राय है भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग **की संघटित** इकाईयों में कार्यरत कोई अभियंता या क्रेता द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत ऐसा अन्य परामर्शदाता या गुणता निगरानी एजेंसी जो क्रेता द्वारा ठेके/क्रय आदेश के तहत भंडार सामग्री के निरीक्षण के उद्देश्य के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके।

2.1.2 पक्षकार

2.1.2.1 ठेके/क्रय आदेश में बताए गए ठेकेदार तथा क्रेता, ठेके के पक्षकार है ।

2.2 ठेकेदार के पक्ष में ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार

2.2.1 ठेकेदार के पक्ष में ठेके या क्रय आदेश के संबंध में ठेके या क्रय आदेश या कोई अन्य कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह माना जाएगा कि उसे ठेकेदार को बंधनकारी बनाने का प्राधिकार प्राप्त है ।

2.3 उप-ठेका देना

2.3.1 ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता क्रेता की लिखित सहमति लिए बगैर ठेके को पूर्णतः या आंशिक तौर पर किसी को भी उप-ठेका नहीं देगा । सहमति अकारण नहीं रोकी जाएगी, किन्तु वह क्रेता की सहमति के बिना ठेके के हिस्से, उपकरण या सम्बद्ध उपस्कर खरीद सकता है, सामान्यतः जिसका वह निर्माण नहीं कर सकता है ।

2.4 आरेख तथा विनिर्देशन (Drawing & Specifications)

2.4.1 आरेख तथा विनिर्देशों का उद्देश्य पूरक है तथा आपूर्ति पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना इसमें शामिल है । आरेख में दर्शाई गई सामग्री के विषय में यदि विनिर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है या कोई तथ्य इसके विपरीत है, तो सभी ठेकेदारों द्वारा सामग्री की आपूर्ति उसी प्रकार की जाएगी, जैसा कि बताया गया है तथा विनिर्देशित किया गया है ।

2.4.2 यदि आरेख या विनिर्देशन में कोई कमी दिखाई देती है तथा इसकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे मामले में क्रेता से संपर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए तथा क्रेता द्वारा की गई व्याख्या निविदाकार के लिए बंधनकारी होगी । ऐसा न करने की स्थिति में उप-ठेकेदारों की व्याख्या सहित निविदाकार आरेख तथा विनिर्देशों की अपनी व्याख्या के लिए उत्तरदायी होगा।

2.4.3 आरेख के विनिर्देशों के मूल उद्देश्य या अर्थ के संबंध में किसी प्रकार का कोई अंतर या विवाद उत्पन्न होता है या उसका कोई अंश अस्पष्ट हो या उसकी एक से अधिक व्याख्या की संभावना हो, तो इस संबंध में क्रेता द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम होगा।

2.4.4 आरेख में दिए गए सभी अक्षरों को विनिर्देश तथा ठेके का भाग माना जाएगा। सभी मामलों में पैमाने द्वारा दर्शाई गई आकृतियों के बजाय आकृतियों के माप का अनुपालन किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने के आरेखों को छोटे पैमाने के आरेखों से अग्रता दी जाएगी ।

2.4.5 क्रेता की स्वीकृति के बाद ठेकेदार के आरेखों को सूची में शामिल माना जाएगा, जो ठेके का भाग है। जब तक कि क्रेता द्वारा आरेख को विधिवत अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक ठेकेदार को निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए।

2.4.6 ठेकेदार आपूर्ति किए जाने वाले भंडार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा तथा किसी भी प्रकार की कमी, गलती, आरेख के हिसाब से निर्माण में अंतर के कारण इसे क्रेता द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति करनी होगी भले ही ऐसे आरेख तथा विनिर्देशों को क्रेता द्वारा स्वीकृत किया गया हो या नहीं, लेकिन ऐसी भूल-चूक के लिए क्रेता की ओर से ठेकेदार को दी गई अपूर्ण सूचना या विनिर्देश के कारण नहीं होना चाहिए।

2.5 सामान्य वारंटी

2.5.1 ठेके के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री सर्वश्रेष्ठ गुणता तथा कार्य-कौशल की होनी चाहिए। ठेके या उसमें किए गए संशोधन, जिस पर स्पष्ट रूप से सहमति हो, को छोड़कर किसी अंतर को निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, तो ठेकेदार को ठेके के विनिर्देश के अनुरूप भंडार की आपूर्ति करनी होगी।

2.5.2 निविदा विनिर्देशों के अनुरूप भंडार की आपूर्ति किए जाने संबंधी ठेकेदार का प्रस्ताव उनकी ओर से इस तथ्य की स्वीकृति मान लिया जाएगा कि उन्हें इसके पूर्ण विवरण की जानकारी भली-भांति प्राप्त है। ठेकेदार क्रेता से इस आधार पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उन्होंने निविदा विनिर्देशों की भली-भांति जांच नहीं की थी तथा वे भली-भांति अवगत नहीं है।

2.6 परिवर्तन

2.6.1 क्रेता द्वारा समय-समय पर आरेखों या विनिर्देशों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा क्रय आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बगैर अतिरिक्त अनुदेश जारी किया जा सकता है बशर्ते कि आदेश में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे ठेके के अंतर्गत आपूर्ति के मूल स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र में मूलभूत रूप से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो।

2.6.2 ठेके के पक्षकारों के लिए यह बंधनकारी होगा तथा आपसी सहमति से किसी भी समय या समय-समय पर आरेखों तथा निर्दिष्ट कार्रवाईयों में परिवर्तन किया जा सकता है। सामग्री की आपूर्ति किए जाने हेतु ऐसे परिवर्तित आरेख तथा विनिर्देश निर्दिष्ट तिथि के अनुसार प्रभावी होंगे, लेकिन यदि ऐसे परिवर्तन योजक मूल्य में या उत्पादन के लिए आवश्यक अवधि में बढ़ोत्तरी या कमी लाते हैं, तो जिस आपूर्ति के लिए परिवर्तन होता है, उसके संबंध में संविदा का मूल्य तथा/या आपूर्ति के लिए निर्धारित अवधि में संशोधन अपेक्षित हो, जो इसे आपसी सहमति से किया जाना चाहिए। अन्य समस्त मामलों में संविदा की मूल शर्तें अपरिवर्तनीय होंगी।

2.7 पैकिंग

2.7.1 ठेकेदार अपने खर्च पर, जैसी भी स्थिति हो, सामग्री को समुद्री रास्ते/वायु मार्ग से भेजने के लिए समुचित तरीके से पैकिंग कराना सुनिश्चित करेगा ताकि ठेके में बताए गए स्थान के लिए सामग्री को परिवहन करते समय सामग्री को किसी भी प्रकार की क्षति न हो।

2.7.2 ठेके में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री के समस्त कंटेनर (जिसमें पैकिंग केस, बक्से, टिन, ड्रम तथा आवरण शामिल हैं) क्रेता की सम्पत्ति मानी जाएगी तथा उसका मूल्य ठेके की राशि में शामिल माना जाएगा।

2.8 निरीक्षण

2.8.1 ठेके/क्रय आदेश में शामिल विनिर्देशों के अनुरूप आवश्यक सभी निरीक्षण तथा परीक्षण करने के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा ।

2.8.2 क्रेता अपने विवेक से ठेके के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के निरीक्षण के लिए अपने प्रतिनिधि को नियोजित कर सकता है या अपने द्वारा चयनित किसी गुणता निगरानी एजेंसी को प्राधिकृत या नामित कर सकता है । जिसे दोनों ही मामलों में निरीक्षक कहा जाएगा ।

2.8.3 आपूर्तिकर्ता सामग्री के तैयार होने पर निरीक्षक को निरीक्षण करने की सूचना देगा (उपरोक्त खण्ड 2.8.2 के अंतर्गत) ताकि निरीक्षक समय पर निरीक्षण के लिए उपस्थित रह सके। ऐसी स्थिति में क्रेता के निरीक्षक से प्राधिकारी या शिपिंग रिलीज प्राप्त होने पर ही वास्तविक आपूर्ति की जाएगी ।

2.8.4 ठेकेदार निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करने के लिए या ठेके के अंतर्गत आपूर्ति की प्रगति का आंकलन करने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा तथा कार्यशाला/निर्माणी में आने-जाने के लिए छूट देगा तथा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराएगा।

2.9 मार्किंग (Marking)

2.9.1 ठेके के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक पैक को ठेकेदार अपने खर्च पर पैक की तीन सतहों को चिह्नित करेगा तथा यह चिह्नन सुस्पष्ट होना चाहिए और सामग्री का विवरण तथा तादाद, परेषिती का नाम तथा पता, पैक का सकल तथा निवल भार, ठेकेदार का नाम, अंतिम गंतव्य, सुपुर्दगी का स्थान आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

चिह्नन सामान्यतः निम्नानुसार होना चाहिए :

परेषिती का नाम तथा पता	क्रय और भंडार निदेशालय भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग विक्रम साराभाई भवन पोस्ट : अणुशक्तिनगर मुंबई - 400 094 भारत
ठेका संख्या तथा दिनांक	सं. -------------------- दिनांक -----------------

सामग्री का संक्षिप्त विवरण

वजन

आयाम ------------------

अंतिम गंतव्य ------------------

सुपुर्दगी का स्थान ------------------

पैक क्रमांक ------------------

2.9.2.1 प्रत्येक पैक में एक पैकिंग नोट होना चाहिए, जिसमें ठेकेदार का नाम तथा पता, ठेके का क्रमांक तथा दिनांक, परेषिती का नाम तथा पता, ऐसे पैक में रखी हुई सामग्री का विवरण तथा तादाद।

2.9.2.2 शर्त क्रमांक 2.8.2 के तहत जहां भी क्रेता निरीक्षक को नियुक्त करता है, उस निरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वह सामग्री के उपरोक्तानुसार पैक/चिह्नित न होने पर और यदि, जहाँ पैकिंग के लिए विशेष सामग्री बताई गई है, यदि वह सामग्री पैकिंग के लिए उपयोग नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में उसे अस्वीकृत कर सकता है ।

2.10 आपूर्ति के लिए समय तथा तिथि - ठेके का सार

2.10.1.1 सामग्री की आपूर्ति के लिए ठेके में उल्लिखित समय तथा तिथि को ठेके का सार माना जाएगा तथा आपूर्ति नियत समय तथा तिथि के बाद नहीं होनी चाहिए ।

2.10.2 **सुपुर्दगी की तिथि को बढ़ाना**

2.10.2.1 यदि आपूर्ति में विलंब हड़ताल, ताला बंदी, आग, दुर्घटना, दंगा आदि के कारण हुई हो, जिसे क्रेता समुचित आधार पर आपूर्ति अवधि बढ़ाने के लिए स्वीकार करे, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए यदि क्रेता आवश्यक समझता है, तो आपूर्ति अवधि बढ़ाने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है ।

2.10.3 यदि ठेकेदार आपूर्ति के लिए नियत तिथि या उपरोक्त पैरा के अनुसार क्रेता द्वारा बढ़ाई गई अतिरिक्त अवधि में या इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व पूरी सामग्री या उसकी किस्त या उसके किसी भाग की आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो निदेशक, क्रय और भंडार, क्रेता के अधिकारों को प्रभावित किए बगैर :

(i) ठेकेदार की पूर्व सहमति के अनुसार परिसमापित हर्जाने की वसूली कर सकता है । यह वसूली अर्थदण्ड के रूप में नहीं होगी। हर्जाने की राशि उस सामग्री के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर होगी, जिसे ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति के लिए निर्धारितअवधि में या पैरा 2.10.2.1 में वर्णित ऐसी अतिरिक्त अवधि में डिलीवरी नहीं किया था । यह हर्जाना प्रतिमाह या माह के उस अंश के लिए होगा जिसमें ऐसी सामग्री की आपूर्ति अब शेष होगी तथा आपूर्ति पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की गई होगी । (यदि संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/यंत्र का अपेक्षित प्रयोग सामग्री के कथित अंश की देरी से आपूर्ति किए जाने के कारण नहीं किया जा सकता है, तो प्रावधान के अंतर्गत देरी से की आपूर्ति के लिए नुकसान की गणना करने के लिए सम्पूर्ण संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/यंत्र के मूल्य पर विचार किया जाएगा ।)

अथवा

(ii) जिस सामग्री की या उसके किसी अंश की आपूर्ति नहीं की गई है, उसके संबंध में ठेकेदार को सूचित किए बगैर ठेकेदार के जोखिम पर तथा कहीं और से खरीदने या खरीद के लिए प्राधिकृत कर सकता है । (जहाँ निदेशक, क्रय और भंडार के विचार से सामग्री ठेके के विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हो, वहाँ पर तत्काल प्रापण करने वाली सामग्री खरीदने का उनका विचार अंतिम होगा)

अथवा

(iii) यदि, निदेशक, क्रय और भंडार के मत से सामग्री ठेके के विनिर्देशों के समान नहीं है, तो वह ठेके को या उसके किसी अंश को रद्द कर सकता है तथा यदि चाहे तो आपूर्ति नहीं की गई सामग्री के समान प्रकृति की अन्य सामग्री खरीद सकता है या खरीदने के लिए प्राधिकृत कर सकता है । इस स्थिति में उसका मत अंतिम माना जाएगा तथा ठेकेदार के जोखिम तथा खर्च पर उसे तैयार तथा प्राप्त किया जाएगा । यदि ठेकेदार मूल संविदा के निष्पादन में चूक करता है, तो क्रेता उसका प्रस्ताव न्यूनतम होने के बावजूद क्रय/ आपूर्ति में जोखिम को देखते हुए उस पर ध्यान नहीं देगा ।

2.10.4 यदि, पैरा 2.10.3 के उप खण्ड (ii) उप खण्ड (iii) के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है तो ठेकेदार इस संबंध में क्रेता को हुई क्षति को वहन करेगा, लेकिन ऐसी आपूर्ति के लिए निर्धारित अवधि के अंदर सामान की आपूर्ति न करने पर, आपूर्ति न करने की तिथि से 6 माह में तथा आपूर्ति की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व ठेके के निराकरण के मामले में ठेका रद्द किए जाने से 6 माह में क्रेता की खरीद का करार होगा । ठेकेदार ऐसी खरीद पर किसी प्रकार के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा तथा ऐसी खरीद का प्रकार तथा तरीका निदेशक, क्रय और भंडार की इच्छा पर निर्भर होगा । क्रेता के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसी खरीद की सूचना ठेकेदार को दे।

2.11 त्रुटिपूर्ण भंडार में सुधार करना तथा उसे बदलना

2.11.1 यदि निरीक्षक को इस बात का पता चलता है कि ठेकेदार ने कार्य के दौरान कोई गलती की है, तो निरीक्षक इस बात की सूचना ठेकेदार को देगा । त्रुटि या कमी का विवरण प्राप्त होने पर ठेकेदार अपने खर्च पर सात दिनों के अंदर या परस्पर समझौते से तय समय के अंदर निविदा विनिर्देशों में बताए अनुसार आवश्यक मानकों तथा विनिर्देशों के आधार पर उसमें सुधार करने या पुनर्निमाण का कार्य करेगा ।

2.12 निरीक्षक को कार्य निष्पादन को प्रमाणित करने का प्राधिकार

2.12.1 खण्ड 2.8.2 के तहत क्रेता द्वारा जब पर भी निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा , उसके पास निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(क) किसी भी भंडार या उसके भाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वह यह प्रमाणित कर सकता हैं, कि निर्माण में असंतोषजनक तरीका अपनाने के कारण वह ठेके की अपेक्षा के अनुसार नहीं है।

(ख) निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी भंडार या उसके अंश के विनिर्देशों के अनुरूप पालन न होने पर अमान्य कर सकता है।

2.13 निरस्त किए जाने का परिणाम

2.13.1 यदि, आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए भंडार को निरीक्षक या परेषिती द्वारा रद्द कर दिया जाता है या ठेकेदार नियत अवधि तथा नियत स्थान पर आपूर्ति नहीं करता है, तो निदेशक, क्रय और भंडार निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं :

(क) रद्द किए गए भंडार के प्रतिस्थापन में नए भंडार को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते है, जिसके लिए विशिष्ट समय-सीमा होगी । ऐसे प्रतिस्थापन का भाड़ा-व्यय आदि ठेकेदार को वहन करना होगा तथा ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

या

(ख) ठेकेदार को सूचित किए बगैर व उसके जोखिम तथा खर्च पर, ठेके के अंतर्गत शेष सामान की अगली आपूर्ति संबंधी दायित्व को प्रभावित किए बिना निरस्त किए गए भंडार की मात्रा या समान प्रकृति की अन्य सामग्री खरीद ले या उसकी खरीद के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दे। जहाँ निदेशक, क्रय और भंडार के मत से भंडार ठेके के विनिर्देशों के बिलकुल अनुरूप नहीं हो, वहाँ उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(ग) ठेका निरस्त कर दे तथा ठेकेदार के जोखिम तथा खर्च पर सामग्री या सामान खरीद ले या खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दे (जब निदेशक, क्रय और भंडार के मत से सामग्री ठेके के विनिर्देशों के बिलकुल अनुरूप न हो । ऐसी स्थिति में उनका मत अंतिम माना जाएगा) यदि, इस उप-खण्ड के ऊपर दिए गए उप-खण्ड (ख) के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, तो खण्ड 2.10.3 के प्रावधान जहाँ तक लागू होते हों, लागू होंगे।

2.14 वारंटी

2.14.1 ठेकेदार आश्वस्त करता है कि संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री, कर्म-कौशल तथा विनिर्देश की दृष्टि से समस्त त्रुटियों तथा चूकों से मुक्त होगी तथा सर्वोत्कृष्ट होगी तथा संविदा के अंतर्गत श्रेणी के भंडार के लिए स्थापित तथा सामान्यतः स्वीकृत मानकों के सुसंगत होगी तथा पूर्णतया विनिर्देशों, आरेख या नमूनों, यदि कोई हो, के अनुरूप होगी तथा यदि सामग्री प्रचालन के लिए है, तो भली-भांति प्रचालित होगी । यह आश्वासन संविदा में नियत अंतिम तिथि तक (ठेके के अंतर्गत सामान की अंतिम खेप पहुँचने की अंतिम तिथि के 12 माह के बाद ऐसी तिथि की समाप्ति के पूर्व संविदाकार को सूचित की गई शिकायतों को छोड़कर) समाप्त हो जाएगी ।

2.14.2 यदि, ठेकेदार द्वारा ठेके के अंतर्गत आपूर्ति किए गए सामान में कोई त्रुटि या कमी, भारत में आपूर्ति किए गए सामान की तिथि से 12 माह के अंदर दिखाई देती है या पाई जाती है, तो क्रेता द्वारा ऐसी त्रुटि या कमी की सूचना दिए जाने पर ठेकेदार को तत्काल ऐसी प्रत्येक त्रुटि या कमी या चूक को ठीक करने के उपाय करने होंगे, जिसका व्यय क्रेता द्वारा वहन नहीं किया जाएगा । यदि ठेकेदार ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद क्रेता की संतुष्टि के अनुसार ऐसी समस्त त्रुटियों, कमियों या चूकों को यथा समय परिशोधित करने में चूक या देर करता है, तो क्रेता उपखण्ड 2.10.3 (ii) में दिए गए उपायों, जो लागू होते हों, का आश्रय ले सकता है ।

2.15 अनुज्ञा-पत्र तथा अनुज्ञप्ति

2.15.1 ठेकेदार के लिए यदि आवश्यक होगा कि वह संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में सार्वजनिक प्राधिकारियों के समस्त कानून, अध्यादेश तथा विनियम के अनुरूप जो आवश्यक अनुज्ञा-पत्र या अनुज्ञप्ति शुल्क आदि उसे अपनी ओर से देय हों, का भुगतान करे तथा उन्हें प्राप्त करे। ठेकेदार समस्त नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति करेगा एवं नुकसानों तथा दायित्वों के लिए समस्त दावों से क्रेता को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने देगा जो संविदाकार द्वारा ऐसे किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने या भुगतान करने में संविदाकार की चूक से उत्पन्न होंगे या लागू होने वाले समस्त या किसी एक कानून, अध्यादेश तथा विनियम का पूर्णतया या आंशिक पालन करने में चूक के कारण उत्पन्न होंगे ।

2.16 एकस्व प्रतिपूरण (Patent Indemnification)

2.16.1 ठेके के अंतर्गत आपूर्ति के लिए किए जाने वाले सामान के लिए संविदाकार अपने द्वारा अपनाए गए विनिर्माण के किसी तरीके या प्रक्रिया या अपनी या ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सामान के संबंध में किसी प्रारूप योजना, रेखा-चित्र, आरेख के पेटेंट राइट, कापी राइट या अन्य संरक्षित अधिकार के उल्लंघन के लिए या इस संबंध में समस्त या किसी दावे, कार्रवाई, लागत तथा व्यय के कारण क्रेता क विरूद्ध उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाएगी ।

2.16.2 उपरोक्त खण्ड 2.16.1 में संदर्भित मामले के संदर्भ में क्रेता के विरूद्ध किए गए किसी दावे या की गई कार्रवाई के मामले में, ठेकेदार को तत्काल इस संबंध में सूचित किया जाएगा तथा उसे अपने खर्च पर उसके निपटारे तथा उससे उत्पन्न मुकदमेबाजी के लिए सभी बातचीत स्वयं करनी होगी ।

2.16.3 यदि, ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त प्रारूप, आरेख योजना या डायग्राम या विनिर्माण संबंधी किसी तरीके या प्रक्रिया से पेटेंट या किसी अन्य ऐसे संरक्षित अधिकार जिसका उपयोग प्रतिबंधित है, का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार क्रेता को अपने खर्च पर, इसका उपयोग जारी रखने का अधिकार उपलब्ध कराएगा या जहां तक संभव हो, इन्हें उसे प्रतिस्थापित कराएगा, जिससे ऐसे उल्लंघन से बचा जा सके तथा यदि किसी भी प्रकार की सहमति आवश्यक है, तो इसे क्रेता से प्राप्त कर लिया जाए या इसे इस प्रकार आशोधित किया जाए कि वे उल्लंघन न करें तथापि ऐसे समस्त आशोधन क्रेता की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए ।

2.16.4 इस खण्ड के प्रावधान संविदा के पूर्ण निष्पादन होने, समाप्त होने के बाद भी ठेकेदार पर प्रभावी तथा बाध्यकर रहेंगे ।

2.17 भुगतान का तरीका तथा शर्तें

2.17.1 ठेके में अन्यत्र विनिर्दिष्ट होने पर, ठेके में निर्दिष्ट बैंक को निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि के 15 दिन के अंदर क्रेता को पूर्ण भुगतान (कमीशन की राशि को छोड़कर जो क्रेता द्वारा भारतीय एजेंट को भारतीय रूपयों में सीधे देय व मूल्य में शामिल है ।) करना होगा :

(क) प्रेषण (लैडिंग) हेतु परक्राम्य बिल या एयर वे बिल, जैसा भी मामला हो, लदान सिद्ध करने पर : चार प्रतियों में

(ख) लदान के लिए बीजक : चार प्रतियों में

(ग) पैकिंग सूची : दो प्रतियाँ

(घ) मूल देश का प्रमाण-पत्र : चार प्रतियों में

(ङ) निरीक्षक से या निरीक्षण परीक्षण के लिए क्रेता द्वारा नामित गुणवत्ता निगरानी एजेंसी से शिपिंग हेतु अनुमति

(च) गुणवत्ता प्रमाण-पत्र तथा रसायनिक विश्लेषण परीक्षण प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू होता हो : चार प्रतियों में

(छ) जब भी आवश्यक हो, क्रेता से शिपिंग प्राधिकार

(ज) अनुभाग - II के खण्ड 2.2.2.8 में दिए गए अनुसार

निष्पादन बंध-पत्र के लिए संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/यंत्र के संबंध में ठेके के मूल्य के 10% के लिए बैंक गारंटी बैंक के माध्यम से अग्रेषित दस्तावेजों के विवरण के साथ बीजक की अग्रिम प्रति क्रय आदेश मे उल्लिखित भुगतान प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए ताकि वे दावे के साथ प्रेषित दस्तावेजों की जाँच कर सकें और यदि वे सही पाए जाएं तो बिना किसी विलंब के स्वीकार किए जा सकें ।

2.17.2 ठेकेदार भारत के (क्लीयरेंस) सीमा शुल्क के निपटारे के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्रेता को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा । ठेकेदार अपने बैंक द्वारा क्रेता के बैंक को बिना किसी देरी के दस्तावेज, हवाई जहाज द्वारा भेजने की व्यवस्था करेगा । वह, निदेशक, क्रय और भंडार को सीधे लैडिंग का परक्राम्य बिल या वायुमार्ग बिल जैसा भी मामला हो, तीन प्रतियों में तथा बीजक तथा पैकिंग सूची की एक प्रति अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा । यदि क्रेता को भारत में पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण को अर्थदण्ड के रूप में अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है या उनके द्वारा निर्दिष्ट शिपिंग दस्तावेजों की पावती में देरी के कारण अन्य व्यय करना पड़ता है, तो क्रेता द्वारा व्यय की गई ऐसी अतिरिक्त राशि की भरपाई के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा ।

2.17.3 बैंक का प्रभार

2.17.3.1 जहाँ क्रेता द्वारा भारत में अपने बैंकरों (स्टेट बैंक आफ इंडिया, मुंबई/चेन्नै) को देय बैंक प्रभार वहन किया जाएगा, वहीं ठेकेदार द्वारा भारत के बाहर देय सभी बैंक प्रभार तथा परामर्शदाता/संशोधन प्रभार आदि का वहन किया जाएगा ।

2.17.4 एजेंसी कमीशन

2.17.4.1 मूल्य में शामिल कमीशन की राशि तथा संविदा में भारतीय एजेंट को देय कमीशन राशि का भुगतान क्रेता द्वारा भारतीय एजेंट को सीधे उसके बराबर की राशि भारतीय रुपयों, भारतीय एजेंट के बीजक के आधार पर किया जाएगा। क्रेता द्वारा माल की प्राप्ति तथा इसके अंतिम अनुमोदन के बाद भारतीय एजेंट के कमीशन का भुगतान भी कर दिया जाएगा। विनिमय दर ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाली दर पर निर्भर करेगी ।

2.17.4.2 क्रेता द्वारा भारतीय एजेंट को सीधे भुगतान किए जाने वाली एजेंसी कमीशन, जो बीजक में शामिल है, को घटाने के बाद ठेकेदार को देय शुद्ध राशि के लिए ही ठेकेदार बीजक प्रस्तुत करेगा लेकिन ठेकेदार के द्वारा बीजक में अपने भारतीय एजेंट को देय कमीशन की राशि अलग से दर्शाई जानी चाहिए ।

2.18 बीमा

2.18.1 एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक के लिए परिवहन बीमा की व्यवस्था क्रेता द्वारा अपने अंडरराइटरों द्वारा कराई जाएगी, जब तक कि किसी विशेष मामले में ठेकेदार को विनिर्दिष्ट रूप से यह उत्तरदायित्व न सौंपा गया हो ।

2.19 दावा की गई राशि को रोकना तथा पुनर्ग्रहणाधिकार

2.19.1 जब तक कि ठेकेदार के प्रसंगत संविदा से या संविदा के अंतर्गत किसी अन्य धनराशि के भुगतान के लिए किसी अन्य पक्षकार द्वारा दावा/दावे किया/किए जाते हैं, तो क्रेता के साथ किए गए इस ठेके या किसी अन्य ठेके के अंतर्गत या किसी अन्य व्यक्ति जो निदेशक, क्रय और भंडार के माध्यम से ठेका करता है, के साथ किए गए ठेके के अंतर्गत देय या बाद में किसी समय देय होने वाली राशि से, दावा की गई ऐसी राशि की सीमा तक राशि रोकने तथा उसके पुनर्ग्रहणाधिकार का पात्र होगा, जिससे संबंधित दावा की गई राशि का अंतिम भुगतान किया जा सके ।

2.19.2 यह ठेके की निर्धारित शर्त है कि उपरोक्त पुनर्ग्रहणाधिकार के अंतर्गत क्रेता द्वारा इस प्रकार रोकी गई या प्रतिधारित की गई धनराशि, क्रेता द्वारा तब तक रोकी/प्रतिधारित की जाएगी जब तक कि मध्यस्थ द्वारा प्रश्नगत ठेके में या ठेके के अंतर्गत अन्य दावा निपटाया नहीं जाता है । ठेकेदार द्वारा इस प्रकार भली-भांति सूचित तथा उपरोक्त संबंधित पुनर्ग्रहणाधिकार के अंतर्गत रोके गए प्रतिधारण के संबंध में ठेकेदार को किसी प्रकार के ब्याज या नुकसान, जो भी हो, के लिए ठेकेदार किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा ।

2.20 अन्य ठेकों में दावे के संबंध में पुनर्ग्रहणाधिकार

2.20.1 ठेके के अंतर्गत ठेकेदार पर बकाया तथा उन्हें देय राशि (तथा उन्हें वापस लौटाई जाने वाली जमानत के साथ) ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, जो निदेशक, क्रय और भंडार के माध्यम से ठेका करते हैं, द्वारा पुनर्ग्रहणाधिकार के अंतर्गत रोकी या प्रतिधारित की जा सकती है। यह रोक प्रतिधारण, क्रेता के साथ या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ठेकेदार द्वारा किए गए किसी अन्य ठेके से या इसके अंतर्गत धनराशि का भुगतान किए जाने के संबंध में क्रेता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी दावे के विरुद्ध किया जाएगा ।

2.20.2 ठेके में यह अवधारित है कि क्रेता द्वारा इस खण्ड के अंतर्गत इस प्रकार रोकी गई या प्रतिधारित धनराशि, क्रेता द्वारा तब तक रोकी या प्रतिधारित की जाएगी जब तक कि इस ठेके या किसी अन्य ठेके के अंतर्गत किया गया यह दावा आपस में सुलझा नहीं लिया जाता या मध्यस्थ द्वारा अवधारित नहीं कर लिया जाता तथा ठेकेदार द्वारा भली-भांति सूचित तथा इस खण्ड के अंतर्गत रोकी गई या प्रतिधारित धनराशि के संबंध में इस आधार पर या किसी अन्य आधार पर ठेकेदार ब्याज या नुकसान, जो भी हो, का दावा नहीं करेगा ।

2.21 मध्यस्थता

2.21.1 वर्तमान ठेके के संबंध में उठने वाले विवाद इंटरनेशनल चैंबर आफ कामर्स के सुलह तथा मध्यस्थता नियमों के अंतर्गत रूप से कथित नियमों के अनुसार नियुक्त एक या अधिक मध्यस्थों द्वारा निपटाए जाएंगे ।

भाग - II

खण्ड - II

उपरोक्त खण्ड - I में निहित ठेके की सामान्य शर्तों के अतिरिक्त संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/निर्मित उपस्कर की आपूर्ति के लिए किए गए ठेकों पर निम्नलिखित विशेष शर्तें भी खण्ड - I की सामान्य शर्तों के स्थान पर मान्य होंगी। विशेष शर्तें, जहाँ उप खण्ड - I की शर्तों से भिन्न होंगी, वहाँ पर पूर्व में निहित शर्तों पर अधिमान्य होंगी ।

2.22 ठेके की विशेष शर्तें

2.22.1 आपूर्ति किए गए सामान की पूर्णता के प्रति उत्तरदायित्व

2.22.1.1 समस्त फिटिंग तथा उपसाधन, जिनका ठेके की निविदा विनिर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है, ठेकेदार द्वारा बिना अतिरिक्त प्रभार के उपलब्ध कराए जाएंगे । संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/यंत्र हर प्रकार से पूरे होने चाहिए ।

2.22.2 अंतिम परीक्षण

2.22.2.1 संस्थापन कार्य पूरा होने के एक महीने के अंदर निष्पादन तथा गारंटी संबंधी अंतिम परीक्षण आरंभ किया जाएगा ।

2.22.3 त्रुटि वाले संयंत्र का निरस्त किया जाना

2.22.3.1 अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के पूर्व यदि पूरा किया गया संयंत्र या उसका कोई भाग त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या ठेके की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, तो क्रेता ठेकेदार को ऐसी त्रुटि या चूक का विवरण/सूचना तत्काल देगा तथा ठेकेदार द्वारा तत्काल त्रुटिपूर्ण संयंत्र में सुधार किया जाएगा, उसे बदला जाएगा जिससे ठेके की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । यदि, ठेकेदार निर्धारित समय के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो क्रेता सम्पूर्ण या आंशिक संयंत्र, जो त्रुटिपूर्ण हो, जैसा भी मामला हो या ठेके की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, रद्द कर सकता है या ठेकेदार के खर्चे पर प्रतिस्थापित कर सकता है । ऐसा प्रतिस्थापन क्रेता द्वारा समुचित समय के अंदर तथा समुचित मूल्य पर तथा जहाँ तक समुचित रूप से समान गुणता व किस्म विनिर्देशों के अंतर्गत सम्भव होगा कराया जाएगा/ठेकेदार क्रेता को आपूर्ति किए गए/निर्माण, जैसा कि ठेके में दिया गया है, ऐसा प्रतिस्थापन, यदि कोई हो, का अतिरिक्त मूल्य भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा । यह अतिरिक्त मूल्य ऐसे प्रतिस्थापन के लिए, उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्रेता द्वारा भुगतान किए गए मूल्य तथा ठेका मूल्य का अंतर होगा । ऐसे त्रुटिपूर्ण संयंत्र के संबंध में ठेकेदार को भुगतान की गई किसी राशि को क्रेता को वापस लौटाया जाना होगा ।

2.22.4 वारंटी

2.22.4.1 संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/यंत्र का प्रचालन आरंभ हो जाने के बाद 12 कलैंडर माह की अवधि में या संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/यंत्र की प्रकृति के आधार पर अंतिम बड़े लदान की तिथि से गणना की जाने वाली समुचित लम्बी अवधि के लिए, जो आपसी सहमति से तय की गई हो, ठेकेदार द्वारा संयंत्र में प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण सामग्री, अभिकल्प या कर्म - कौशल से उत्पन्न ठेके में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत अथवा समुचित व सावधानी पूर्वक उपयोग के बावजूद होने वाली त्रुटियों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। ठेकेदार अपने खर्च पर परिशोधित करेगा ।

2.22.4.2 यदि इस खण्ड के अंतर्गत परिशोधन के प्रयोजन हेतु संयंत्र के किसी त्रुटिपूर्ण अंश की प्रतिस्थापना या नवीकरण करना ठेकेदार के लिए आवश्यक हो जाता है तो इस खण्ड के प्रावधान इस प्रकार की प्रतिस्थापना या नवीकरण किए गए संयंत्रों के अंशों पर, ऐसे प्रतिस्थापन या नवीकरण की तिथि से 6 माह की समाप्ति तक या उपरोक्त वर्णित 12 माह की अवधि की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, लागू होंगे। यदि कोई त्रुटि समुचित समय के अंदर परिशोधित नहीं की जाती है, तो क्रेता ठेकेदार की जोखिम तथा खतरे पर काम को पूरा कर सकता है तथा ऐसी त्रुटियों के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध क्रेता को प्राप्त अन्य प्राधिकार प्रभावित नहीं होगा ।

2.22.4.3 वारंटी अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले समस्त निरीक्षण समायोजन, प्रतिस्थापन या नवीकरण ठेके में दी गई शर्तों के अनुसार होंगे ।

2.22.5.1 ठेकेदार को वचन देना होगा कि कल-पुर्जों का उत्पादन बन्द करने से पहले उसे क्रेता को पर्याप्त अग्रिम सूचना देनी होगी, जिससे क्रेता यदि चाहे तो कल-पुर्जों संबंधी अपनी आवश्यकता के अनुसार एक लाट में आदेश दे सके।

2.22.5.2 ठेकेदार को इस बात की गारंटी भी देनी होगी कि यदि कल-पुर्जों का उत्पादन बंद करता है, तो वह ब्लू प्रिंट, कल-पुर्जों का आरेख तथा सामग्री का विनिर्देशन क्रेता को निःशुल्क देगा, जिससे यदि उसे उपस्कर की आवश्यकता होती है, तो क्रेता अन्य स्रोत से ऐसे कल-पुर्जों का निर्माण कर सके या करवा सके।

2.22.5.3 इस खण्ड के प्रावधान ठेकेदार पर ठेके के पूरे होने/समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे तथा तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि ठेके के अंतर्गत आपूर्ति किए गए संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर का प्रयोग क्रेता द्वारा किया जाता रहेगा ।

2.22.6 निर्माण तथा संस्थापन

2.22.6.1 समस्त मामलों में जहाँ ठेके में, क्रेता के परिसर में निर्माण या संस्थापन के परीक्षण के लिए या परीक्षण के लिए प्रावधान है, क्रेता उन मामलों को छोड़कर, जहाँ अन्यथा विनिर्दिष्ट है, समय-समय पर आवश्यकतानुसार तथा ठेकेदार द्वारा माँग किए जाने पर ऐसी सामग्री, श्रम, ईंधन व सामान/उपकरण तथा यंत्र निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, जिससे दक्षतापूर्वक निर्माण तथा संस्थापन के ऐसे पर्यवेक्षण तथा माँग किया गया परीक्षण किया जा सके। यदि, ठेके के अंतर्गत कार्यस्थल पर निर्माण, संस्थापन तथा परीक्षण कार्य करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तो बिजली ठेकेदार को निःशुल्क प्रदान की जाएगी ।

2.22.6.2 निर्माण पूरा करने के लिए समय

2.22.6.2.1 निर्माण तथा संस्थापन पूरा करने के लिए निश्चित किया गया समय ठेके का सार होगा तथा ठेकेदार की ओर से देरी या चूक होने पर, क्रेता को हक होगा कि वह संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/यंत्र के निर्माण तथा संस्थापन कार्य करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे तथा इस संबंध में क्रेता द्वारा वहन किए गए अतिरिक्त खर्च के भुगतान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा ।

2.22.6.2.2 प्रावधानों के अंतर्गत क्रेता द्वारा की गई कार्रवाई के फलस्वरूप ठेकेदार ठेके के अंतर्गत अपने आश्वासन/दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता ।

2.22.7 प्रशिक्षण

2.22.7.1 निदेशक, क्रय और भंडार द्वारा चाहे जाने पर, ठेकेदार द्वारा क्रेता के भारतीय अभियंताओं तथा तकनीकी कर्मियों को तथा ठेके/भंडार के सम्पूर्ण निर्माणकाल के दौरान निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचालन व उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे कार्मिकों की संख्या आपसी सहमति से तय की जाएगी ।

2.22.8.1 निष्पादन बंध-पत्र

परिशिष्ट में दिए गए नमूने के अनुसार इस अनुभाग को ठेके के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिए बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन बंध-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो ठेके के अंतर्गत आपूर्ति किए गए संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/यंत्र के संतोषजनक निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में गारंटी अवधि समाप्त होने तक वैध होगा ।